

# कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 146 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : अप्रैल 12, 2021

## “सार्वजनिक सूचना”

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा की तहसील बबेरु स्थित ग्राम-चरका में उपखनिज बालू/मोरम के 10 नये खनन क्षेत्रों का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	रकबा (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-01)	12.50
2.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-02)	11.00
3.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-03)	11.00
4.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-04)	11.00
5.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-05)	11.00
6.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-06)	11.00
7.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-07)	11.00
8.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-08)	11.00
9.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-09)	11.00
10.	बाँदा	बबेरु	चरका खादर	21 (खण्ड सं०-10)	11.00
11.	बाँदा	नरैनी	बरियारी	429 व 430	13.36
12.	बाँदा	नरैनी	बहादुरपुर स्योड़ा	195/1, 300मि, 316मि	21.683

उक्त उपखनिज बालू/मोरम के 10 खनन क्षेत्रों जनपद के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आम जनमानस अपना सुझाव/आपत्ति आज से 21 दिन तक अर्थात् दिनांक 05/05/2021 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), बाँदा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

( आनन्द कुमार सिंह )  
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सदस्य-सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी, बाँदा/नरैनी/पैलानी/बबेरु/अतर्रा।
5. जिला सूचना अधिकारी, बाँदा को निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी,  
बाँदा।